

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2020-21** में ऑनलाइन आवेदन के आधार पर विभागीय दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार कृषकों को खेत तलाई कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	रजि. नं.	नाम कृषक मय पिता / पति	जाति	श्रेणी	मो. नं.	गांव	कृषि पर्य. क्षेत्र	स. कृ. अ. क्षेत्र	पंचायत समिति	खसरा नं० फार्म पौण्ड	रजि. दिनांक	कच्चा / पक्का	भराव क्षमता	अधिकतम अनुदान राशि
1	FP/2020-21/2245	Prabhu Ram/Tikam Ran	PATEL	OBC	6377315343	खुटाणी	एएस कार्यालय खुटानी	सहायक कृषि अधिकारी वायद	रोहट	गाँव खुटाणी तहसील रोहट जिला पाली	16/05/2020	Kacha	400-1200 Cubic Metre	63000
2	FP/2020-21/2249	sumitra devi/W/omada ramD/omota ram	PATEL	OBC	9351377419	खुटाणी	एएस कार्यालय खुटानी	सहायक कृषि अधिकारी वायद	रोहट	gram diwandi tehisil rohat	16/05/2020	Kacha	400-1200 Cubic Metre	63000

यह प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2020-21 के लिए मान्य है |

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
पाली

